न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : अंशदीप, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 35/2018

अपीलांट्स–

1. खरताराम पुत्र गुमनाराम
2. मेहाराम पुत्र गुमनाराम
3. रूखमों देवी पत्नी गुमनाराम

जाति मेगवाल निवासी टांकों की ढाणी (पांयला कला) तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. मंगलाराम पुत्र प्रभुराम जाति मेघवाल निवासी टाकों की ढाणी (पांयला कला) तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
2. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 13.06.2018 जो तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रकरण सं. 02/2017 अनवान मंगलाराम बनाम खरताराम में पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री मुकेश गोयल, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री जोगाराम पोटलिया, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 की ओर से उपस्थित।
3. राजकीय पैरोकार, रेस्पोडेंट सं. 2 की ओर से उपस्थित।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

निर्णय

दिनांक : 26/02/2020

अपीलांट की ओर से यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत तहसीलदार चौहटन द्वारा प्रकरण सं. 02/2017 अनवान मंगलाराम बनाम खरताराम में पारित आदेश दिनांक 13.06.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.07.2018 को प्रस्तुत की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा टाकों की ढाणी के खसरा नम्बर 66 रकबा 32–09 बीघा, खसरा नम्बर 71 रकबा 00–04 बीघा, खसरा नम्बर 72 रकबा 40–14 बीघा, खसरा नम्बर 79 रकबा 07–14 बीघा अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट सं. 1 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदारी भूमि के विभाजन हेतु खातेदारान ने उप–तहसीलदार सिणधरी के समक्ष दिनांक 31.12.2010 को उपस्थित होकर आपसी सहमति से विभाजन

Ansh
जिला कलक्टर
बाड़मेर

हेतु इकरारनामा पेश किया, जिसे उप–तहसीलदार सिणधरी द्वारा स्वीकार कर माफिक सहमति विभाजन राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हेतु हल्का पटवारी को आदेश जारी किये गये। इस विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध रेस्पोडेंट सं. 1 मंगलाराम द्वारा प्रथम अपील सं. 16/2011 इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। रेस्पोडेंट सं. 1 के द्वारा प्रस्तुत अपील पर उभय पक्षकारान की सुनवाई उपरांत निर्णय दिनांक 12.04.2016 पारित कर उप–तहसीलदार सिणधरी के विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त कर दिया तथा प्रकरण पुनः इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि पक्षकारान के मौके एवं कब्जे–काश्त अनुसार राजस्थान काश्तकारी नियम 20 व 21 की पालना करते हुए पुनः विधिवत आदेश पारित करें। इस पर तहसीलदार सिणधरी द्वारा इस न्यायालय के आदेश के अनुसरण में प्रकरण पुनः दर्ज कर पक्षकारान को नोटिस जारी कर सुनवाई उपरांत अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.06.2018 पारित करते हुए पक्षकारान की आपसी सहमति नहीं होने से विभाजन से पूर्व की स्थिति राजस्व रेकर्ड में बहाल किये जाने का आदेश पारित किया। तहसीलदार सिणधरी द्वारा पारित इस आदेश के विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा यह प्रथम अपील पुनः इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

3. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्षकारान के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि विवादित भूमि के पूर्व विभाजन को अपास्त करते हुए इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.04.2016 में इस निर्देश के साथ पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की गई थी कि पक्षकारान के मौके एवं कब्जे–काश्त के अनुसार एवं राजस्थान काश्तकारी नियम 20 एवं 21 की पालना करते हुए पुनः विधिसम्मत तरीके से आदेश पारित करें। इस आदेश की अनुपालना में अधीनस्थ न्यायालय को विवादित भूमि के मौके कब्जे–काश्त की रिपोर्ट तलब कर बंटवाड़ा किया जाना था किन्तु इस न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर बिना विभाजन किये पूर्व विभाजन आदेश दिनांक 31.12.2010 से पूर्व की स्थिति बहाल करने का अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो कतई न्यायोचित नहीं होने से निरस्त फरमाया जावें।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

5. रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने यह जवाब में निवेदन किया कि इस न्यायालय के आदेश दिनांक 12.04.2016 की अनुपालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण पुनः दर्ज कर पक्षकारान को नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि का रूबरू मौतबिरान मौका निरीक्षण किया गया। पक्षकारान की पूर्व विभाजन एवं वर्तमान मौका कब्जा की स्थिति में भिन्नता एवं विभाजन हेतु किसी प्रकार की सहमति नहीं होने पर प्रकरण निस्तारित करते हुए रेकर्ड में पूर्व की स्थिति बहाल करने का अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत पारित किया गया हैं। इस प्रकार तहसीलदार की क्षेत्राधिकारिता केवल सहमति से होने वाले विभाजन को ही तस्दीक करने की हैं, तथा सहमति नहीं होने पर नियमित वाद के द्वारा विभाजन का सक्षम क्षेत्राधिकार सहायक कलक्टर का हैं, ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णरूप से विधिसम्मत हैं। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय के अनुसरण में रेस्पोडेंट सं. 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि से सम्बन्धित मूल वाद प्रकरण मंगलाराम बनाम खरताराम व अन्य सहायक कलक्टर (एसडीओ) सिणधरी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं जो विचाराधीन हैं तथा उसी भूमि के सम्बन्ध में एक ही विषयवस्तु का यह दूसरा प्रकरण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जो नियमानुसार चलने योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर द्वारा नियमित वाद में ही विभाजन हेतु निर्णय एवं डिक्री पारित की जा सकेगी। इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में पारित निर्णय के द्वारा पूर्व विभाजन को अपास्त किये जाने की दशा में राजस्व रेकर्ड की पूर्व स्थिति अनुसार बहाल किया जाना न्यायोचित है। इस प्रकार सम्पूर्ण प्रक्रिया विधिसम्मत की गई है। ऐसे में एक ही विषयवस्तु एवं वाद कारण पर दो भिन्न-भिन्न न्यायालयों में प्रकरण चलने योग्य नहीं होने से प्रस्तुत अपील काबिल खारिज है।

6. हमने अधिवक्ता पक्षकारान द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि अपीलाधीन आदेश इस न्यायालय द्वारा अपील सं. 16/2011 में पारित निर्णय दिनांक 12.04.2016 की अनुपालना में पारित किया गया हैं। हस्तगत प्रकरण में मूल विवाद संयुक्त खातेदारी की भूमि का विभाजन कराया जाना हैं जिसके तहत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार के समक्ष केवल सहमति से होने वाले विभाजन इकरार को ही सत्यापित किया जा सकता हैं। यदि पक्षकारान मौके एवं कब्जे-काश्त अनुसार विभाजन हेतु सहमत नहीं हैं तो बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन हेतु नियमित वाद में निर्णय एवं डिक्री पारित करने की क्षेत्राधिकारिता सहायक कलक्टर को हैं तथा अधिवक्ता

जिला कलक्टर
बाड़मेर

रेस्पोडेंट के कथन अनुसार उनकी ओर से विभाजन का वाद सहायक कलक्टर (एसडीओर) सिणधरी के न्यायालय में पेश किया गया हैं जो विचाराधीन हैं जिसमें अन्तिम निश्चय किया जा सकेगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी क्षेत्राधिकारिता के अन्तर्गत पारित विधिसम्मत आदेश के विरूद्ध यह अपील कतई मेंटेनेबल नहीं होती है बल्कि अपीलांट्स को सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य हैं।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाती हैं।

8. निर्णय आज दिनांक 26.02.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(अंशदीप)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर